

प्रेषक,

करनैल सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग—1

लखनऊ :: दिनांक 18 दिसंबर, 2003

विषय:-विज्ञापन मान्यता एवं वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त।

महोदय,

शासनादेश संख्या—1223/उन्नीस—1—2001—89/2001, दिनांक 19 सितम्बर, 2001 द्वारा विज्ञापन मान्यता एवम् वितरण संबंधी प्रक्रिया विचारोपरान्त् पूर्व में निर्गत उक्त एवं समस्त अन्य आदेशों का अतिक्रमण करते हुये श्री राज्यपाल महोदय विज्ञापन मान्यता व वितरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

विज्ञापन वितरण प्रक्रिया

1.1 समाचार पत्र/पत्रिकाओं की श्रेणी में, विज्ञापन मात्र विभाग में सूचीबद्ध प्रकाशनों को उपलब्ध कराये जायेंगे। किसी विशेष नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से दिखावटी (डिस्प्ले) विज्ञापन निर्गत करने का अधिकार सूचना निदेशक का होगा।

1.2 समाचार पत्र/पत्रिकाओं को अधिकार स्वरूप कोई भी विज्ञापन अनुमन्य नहीं होगा और इस संबंध में सूचना निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

1.3 विज्ञापन संबंधी किसी विवाद के लिये वाद क्षेत्र लखनऊ होगा।

1.4 ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं का, जिनका प्रति संस्करण सशुल्क प्रसार 3000 प्रतियों से कम न हो, उन्हें विज्ञापन उपलब्ध कराये जा सकेंगे, किन्तु-

निम्नलिखित श्रेणी के पत्र/पत्रिकाओं को निम्नवत छूट दी जा सकेगी:-

(क) उर्दू संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के लिए प्रति संस्करण सशुल्क प्रसार संख्या 3000 के स्थान पर 2000 होगी।

(ख) अंग्रेजी समाचार पत्र/पत्रिकाओं को भी हिन्दी समाचार पत्रों की भौति विज्ञापन जारी किया जायेगा।

(ग) निदेशक को किसी समाचार पत्र/पत्रिका के प्रवेशांक के लिए इस शर्त में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार होगा।

2. पुस्तकों/स्मारिकाओं/समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से भिन्न श्रेणी के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन प्रकाशनों की उपयोगिता व गुणवत्ता के आधार पर निदेशक की स्वीकृति से निर्गत किये जायेंगे। इसके साथ में यह भी शर्त होगी कि ऐसे प्रकाशन में कुल प्रकाशित की जानी वाली प्रतियों की संख्या 1000 से कम न हो।

3. समाचार—पत्र/ पत्रिका के विज्ञापन के आवेदन पत्र में पंजीकरण की संख्या अंकित करते हुये उसके साथ आर०एन०आई० द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित सही प्रति संलग्न करनी होगी।

4. समाचार पत्र/ पत्रिकाओं की सशुल्क प्रसार संख्या के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के प्रमाण पत्र पर अधिकतम एक वर्ष की समयावधि के अन्दर परन्तु इसके पश्चात् मात्र आर०एन०आई० द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या/ डी०ए०वी०पी० द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों (मारल टर्फट्यूड) के लिये न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित/मुद्रित एवं सम्पादित समाचार—पत्रों को विज्ञापन प्रदान नहीं किये जायेंगे।

6. विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु संबंधित समाचार—पत्रों का न्यूनतम मुद्रित आकार निम्न प्रकार से होगा:—

क्रमांक	नियतकालिकता	मुद्रित आकार
1)	दैनिक पत्र 33 से०मी० x 45 से०मी० 7 कालम	4 पृष्ठ
2)	सांध्य दै० 25 से०मी० x 38से०मी० 5 कालम	4 पृष्ठ
3)	सा०स०पत्र 25 से०मी० x 38 से०मी० 5 कालम	6 पृष्ठ
4)	पा०स०पत्र 25 से०मी० x 38 से०मी० 5 कालम	8 पृष्ठ
5)	पत्रिका (मैगजीन) 15 से०मी० x 23 से०मी०	32 पृष्ठ

(समाचार पत्र के कालम से०मी० से आशय न्यूनतम मुद्रित आकार 5 से०मी० चौड़ाई मानक से है।)

7. विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से समाचार पत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:—

लघु समाचार पत्र— ऐसे समाचार पत्र जिनके प्रत्येक संस्करण की प्रसार संख्या 25,000 या उससे कम है।

मध्यम समाचार पत्र— ऐसे समाचार पत्र जिनके प्रत्येक संस्करण की प्रसार संख्या 25,001 से 75,000 के बीच है।

बड़े समाचार पत्र— ऐसे समाचार पत्र जिनके प्रत्येक संस्करण की प्रसार संख्या 75,000 से अधिक है।

8. सामान्यतः समाचार पत्र/ पत्रिकाओं को विभाग द्वारा ही विज्ञापन दिये जायेंगे परन्तु विशेष परिस्थितियों में विभाग द्वारा पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन दिये जाने का अधिकार सूचना निदेशक में सुरक्षित रहेगा।

9. वर्गीकृत विज्ञापन 5000 से अधिक सशुल्क प्रसार संख्या वाले उन्हीं दैनिक समाचार पत्रों को दिये जायेंगे जिन्हें उनकी सशुल्क प्रसार संख्या तथा प्रकाशन की नियमितता की पुष्टि जिला सूचना कार्यालय/ निदेशालय की निरीक्षा शाखा से प्राप्त करके निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। ऐसा करते समय लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन प्रदान करने में विशेष महत्व प्रदान किया जायेगा। जिन जनपदों में 5000 से अधिक सशुल्क प्रसार संख्या वाले

दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होते हैं, उनमें 5000 से अधिक संशुल्क वाले उपरोक्त प्रकार से सूचीबद्ध साप्ताहिक पत्रों को भी वर्गीकृत विज्ञापन दिये जा सकते हैं।

10. सामान्य दशा में वर्गीकृत विज्ञापन अधिकतम तीन समाचार पत्रों में दिये जायेंगे किन्तु विज्ञापन के महत्व व प्रचार की आवश्यकता को देखते हुये निदेशक द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार तीन से अधिक समाचार पत्रों को भी निर्गत किया जा सकेगा।

11. टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

क) आफसेट से निकाले जा रहे समाचार पत्रों को हिन्दी में 10 व अंग्रेजी में 8 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और टेण्डर में शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी।

ख) लेटर प्रेस पर छपे हुए समाचार पत्रों को हिन्दी व अंग्रेजी में 12 प्वाइंट का आधार माना जायेगा और माप के आगणन के लिए शब्दों की संख्या को 0.16 से गुणा किया जायेगा।

ग) उर्दू के समाचार-पत्रों में जो किताबत से छपते हैं, उन्हें टेण्डर देने के लिए शब्दों को संख्या की 0.22 से गुणा किया जायेगा तथा कम्प्यूटर कम्पोजिंग से छपे पत्रों के लिए “क” एवं “ख” को ही मानक माना जायेगा।

12. सामान्य दशा में विज्ञापन अधिकतम एक पृष्ठ का ही दिया जायेगा, इससे अधिक विज्ञापन की आवश्यकता पर उच्चादेश प्राप्त करना होगा।

13. (क) विभाग द्वारा जारी किये गये मूल कार्यादेश (R.O.) के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(ख) मूल कार्यादेश खो जाने की स्थिति में रु0 100.00 शुल्क विभागीय खजाने में जमा करने के उपरान्त ही कार्यादेश की दूसरी प्रति जारी की जायेगी।

विज्ञापन दरों का निर्धारण:-

14. जिन समाचार पत्रों की विज्ञापन दर, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा वही दर दी जायेगी। जिन समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं की डी०ए०वी०पी० दर निर्धारित नहीं है उन्हें विभागीय दर दी जायेगी। न्यूनतम दर संशुल्क प्रसार संख्या के आधार पर देय होगी।

15. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के प्रमाण पत्र की मान्यता के संबंध में उपरोक्त प्रस्तर-4 में दर्शायी गयी शर्तें लागू होंगी।

16. समाचार पत्र/ पत्रिकाओं में जिस विभाग का विज्ञापन प्रकाशित होगा उस विभाग को समाचार पत्र की 5 प्रति भेजना अनिवार्य होगा। विभाग को भेजे गये पत्र की रसीद बीजक के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।

17. भुगतान तभी किया जायेगा जब निम्न बातों की पुष्टि की जायेगी :—

(क) छपी हुई विज्ञापन सामग्री पठनीय सुव्यवस्थित तथा दाग धब्बों रहित होगी एवं उसमें काट-पीट नहीं होगी।

- (ख) समाचार पत्र/ पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर पत्र का नाम, वर्ष, अंक, कुल मुद्रित पृष्ठ, मूल्य, स्थान, दिन व दिनांक तथा प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार पत्र/ पत्रिका का नाम, पृष्ठ संख्या व दिनांक मुद्रित होनी चाहिए।
- (ग) समाचार पत्र/ पत्रिकाओं की प्रिन्ट लाइन में मुद्रक, प्रकाशक स्वत्वाधिकारी एवं स्थानीय पता आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी0आर0बी0 एकट के अधीन जिम्मेदार होंगे।
- (घ) विज्ञापन जिस अंक/ विशेषांक के लिए निर्गत किया गया है, उसी में प्रकाशित किया गया हो।

18. नियमावली लागू होने के उपरान्त ऐसी अवधि जो सूचना निदेशक द्वारा निर्धारित की जाये, में पूर्व के लम्बित बीजकों जो तीन माह से अधिक के हों, की प्रस्तुति निदेशालय में करनी अनिवार्य होगी।

- (ख) विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से विलम्बतम 3 माह के अन्दर भुगतान हेतु बीजक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 3 माह से पुराने तथा विगत वित्तीय वर्ष के बीजकों पर भुगतान नहीं होगा।
- (ग) भुगतान विभागीय बजट में धन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आगत के अनुक्रमानुसार किया जायेगा।

विज्ञापन के लिए प्रकाशनों की ब्लैकलिस्टिंग:-

19. विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रकाशकों को निम्न कारणों के आधार पर किसी भी समाचार-पत्र/पत्रिका को विभाग द्वारा भविष्य में विज्ञापन न देने हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

- (क) समाचार पत्र/ पत्रिका की प्रसार संख्या की जांच विभाग द्वारा गलत प्रमाणित होने पर।
- (ख) समाचार पत्र/ पत्रिका के मुद्रक/ प्रकाशक/ सम्पादक के अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराध (मारल टर्फट्यूड) का दोषी सिद्ध होने पर।
- (ग) समाचार पत्र/ पत्रिका के मुद्रक/ प्रकाशक/ सम्पादक के अनैतिक देशद्रोही आतंकवादी एवं समाज विरोधी अपराध (मारल टर्फट्यूड) का दोषी सिद्ध होने पर।
- (च) समाचार पत्र/पत्रिका के संबंध में यह प्रमाणित होने पर कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत करके विज्ञापन प्राप्त किया है।
- (छ) समाचार पत्र/ पत्रिका का प्रकाशन अनियमित होने पर (नियमितता 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए)।
- (ज) जो समाचार पत्र/ पत्रिका/ एजेन्सियां विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों को प्रकाशित करने से मना करेंगे, उन्हें निदेशक की अनुमति से छः माह के लिए निलम्बित किया जा सकेगा।

20. उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित कारण संज्ञान में आने पर निदेशक द्वारा जांच करायी जायेगी तथा जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित प्रकाशन के प्रकाशक/मुद्रक अथवा सम्पादक को नोटिस देते हुये उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उस पर विचार करते हुये ब्लैक लिस्टिंग के आदेश पारित किये जायेंगे। यदि प्रकाशक द्वारा ब्लैक लिस्टिंग के विरुद्ध सुनवाई की मांग करता है तो उसे विज्ञापन मान्यता सलाहकार समिति के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। ब्लैक लिस्टिंग के पश्चात् संबंधित प्रकाशन में विज्ञापन तब तक नहीं दिया जायेगा।

जब तक किसी पुनर्विचार के फलस्वरूप ऐसे प्रकाशन को ब्लैक लिस्ट से निकाल न लिया जाय।

सूचीबद्ध के लिए मापदण्ड

समाचार पत्र/ पत्रिकाओं की श्रेणी में विभाग में सूचीबद्ध प्रकाशनों को ही विज्ञापन उपलब्ध कराये जायेंगे। पत्र/ पत्रिकाओं को 6 माह के नियमित प्रकाशन के पश्चात् ही विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ आर0एन0आई0 पंजीयन प्रमाण—पत्र यथा प्रस्तर-4 में इंगित व्यवस्थानुसार प्रसार संख्या का प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध पत्र निम्न तीन श्रेणी में सूचीबद्ध किए जायेंगे :—

- 1— राज्य स्तरीय समाचार पत्र
- 2— मण्डल स्तरीय समाचार पत्र
- 3— जिला स्तरीय समाचार पत्र

राज्य स्तरीय पत्रों हेतु मापदण्डः—

1. पत्र का प्रकाशन कम से कम 16 पृष्ठों में किया जाय तथा प्रकाशन राज्य मुख्यालय से किया जाना अनिवार्य होगा।
2. पत्रों की प्रसार संख्या प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जनपदों में हो तथा पत्र डी0ए0वी0पी0 से मान्यता प्राप्त हो।
3. पत्र लगभग सभी महत्वपूर्ण जनपदों के समाचार कवरेज करते हों। यदि पत्र का अन्य कोई संस्करण प्रकाशित होता हो तो उसे सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा।

मण्डल स्तरीय पत्रों हेतु मापदण्डः—

1. मण्डल स्तरीय पत्रों की प्रसार संख्या कम से कम 50,000 हो तथा पत्र डी0ए0वी0पी0 से मान्यता प्राप्त हों। पत्र का प्रकाशन मण्डल मुख्यालय से होना अनिवार्य है।
2. मण्डल स्तरीय पत्र की मण्डल के अधीन सभी जनपदों में कम से कम 5,000 प्रतियां प्रसारित होती हो, जिसकी पुष्टि जिला सूचना कार्यालय से कराई जायेगी।
3. मण्डल स्तरीय पत्रों में मण्डल से आच्छादित जनपदों के समाचारों का कवरेज होना चाहिए तथा पत्र का प्रकाशन कम से कम 8 से 10 पृष्ठों तक अनिवार्य रूप से किया जाय।

जनपदीय पत्रों हेतु मापदण्डः—

- 1) राज्य स्तरीय व मण्डल स्तरीय के मापदण्ड न पूरे करने वाले समाचार पत्र जिला स्तरीय माने जायेंगे। पत्रों को सूचीबद्ध करने के पूर्व पत्र की स्वरनीति स्तर तथा भाषाशैली आदि की जांच संबंधित जिला सूचना कार्यालय के अतिरिक्त निरीक्षा शाखा से भी करायी जायेगी।
- 2) पहली बार पत्र/ पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करने की तिथि से 31 दिसंबर तक के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा। उसके पश्चात् नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर गुण—दोष के आधार पर तीन वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा।

नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वर्ष के 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- 3) यदि कोई पत्र/ पत्रिका अनियमित हो जायेगा तो विज्ञापन के लिए पत्र नहीं रह जायेंगे। ऐसे पत्र/ पत्रिकाओं को पुनः 6 माह तक नियमित प्रकाशन के उपरान्त ही नियमित

माना जायेगा। पत्र/ पत्रिकाओं को नियमित रहने हेतु 80 प्रतिशत प्रकाशन किया जाना अनिवार्य होगा।

दैनिक समाचार पत्रों के लिए अपना प्रेस होना अनिवार्य होगा। जिन दैनिक समाचार पत्रों के पास मुद्रण मशीन नहीं होगी उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा।

4) समय—समय पर समाचार पत्र/ पत्रिकाओं के अनियमित हो जाने की सूचना जिला सूचना अधिकारी के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

21. शासन को उपरोक्त प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक बिन्दुओं को आवश्यकतानुसार शिथिल करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त आदेशों/ निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(करनैल सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या—2130 / उन्नीस—1—2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1 महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश शासन।
- 3 अपर निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 4 संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ सहा० निदेशक/ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 5 विज्ञापन प्रभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6 वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—७।
- 7 गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(संजय भाटिया)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(विज्ञापन प्रभाग)
संख्या—602 / सू0एंवज0सं0वि0(विज्ञा0) / 1173 / 89
लखनऊ :: दिनांक 26 मई, 2004

वैभागिक आदेश

एतद्वारा आदेश संख्या—219 / सू0एंवं0ज0सं0वि0(विज्ञा0)—1173 / 89, दिनांक 10 फरवरी, 2004 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के आधार पर प्रदान की जाने वाली विज्ञापन दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

दैनिक समाचार पत्र

<u>संशुल्क प्रसार संख्या</u>	<u>प्रति वर्ग से0मी0 दर रूपये</u>	<u>प्रति वर्ग से0मी0 दर रूपये</u>
	<u>दैनिक अंग्रेजी</u>	<u>दैनिक हिन्दी भाषा</u>
2000 तक	2.16	2.46
2001 से 5000 तक	2.55	2.76
5001 से 10,000 तक	3.15	3.27
10,001 से 15,000 तक	3.78	3.78
15,001 से 20,000 तक	4.35	4.35
20,001 से 25,000 तक	4.98	4.98
25,001 से 30,000 तक	5.64	5.64
30,001 से 35,000 तक	6.21	6.21
35,001 से 40,000 तक	6.84	6.84
40,001 से 45,000 तक	7.41	7.41
45,001 से 50,000 तक	8.01	8.01
50,000 से ऊपर	11.76	11.76

साप्ताहिक / पाक्षिक समाचार पत्र

<u>संशुल्क प्रसार संख्या</u>	<u>प्रति वर्ग से0मी0 दर रूपये</u>	<u>प्रति वर्ग से0मी0 दर रूपये</u>
	<u>अंग्रेजी</u>	<u>हिन्दी भाषा</u>
2000 तक	2.61	2.97
2001 से 5000 तक	2.97	3.27
5001 से 10,000 तक	3.54	3.76
10,001 से 15,000 तक	4.17	4.17
15,001 से 20,000 तक	4.71	4.71
20,001 से 25,000 तक	5.34	5.34
25,001 से 30,000 तक	5.91	5.91
30,001 से 35,000 तक	6.48	6.48
35,001 से 40,000 तक	7.08	7.08
40,001 से 45,000 तक	7.69	7.69
45,001 से 50,000 तक	8.22	8.22
50,000 से ऊपर	13.29	9.78

मासिक, द्वैमासिक तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं की दरें

<u>प्रसार संख्या</u>	<u>दर प्रति पृष्ठ (रुपये)</u>
2000 तक	3000.00
2002 से 5000 तक	3500.00
5001 से 10,000 तक	4000.00
10,001 से 20,000 तक	4500.00
20,001 से 30,000 तक	5000.00
30,001 से 40,000 तक	5500.00
40,001 से 50,000 तक	6000.00
50,001 से 60,000 तक	6500.00
60,001 से 70,000 तक	7000.00
70,001 से 80,000 तक	7500.00
80,001 से 90,000 तक	8000.00
90,001 से 1,00,000 तक	8500.00
1,00,000 से ऊपर	9000.00

2. यह दरें अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

(संजय भाटिया)
सूचना निदेशक।

संख्या— /सू0एंवज0सं0वि0(विज्ञा0)-1173 / 89 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, सूचना सचिव।
2. संयुक्त निदेशक (श्री राम अवतार प्रसाद)
3. संयुक्त निदेशक (श्रीमती अभिलाषा कुलश्रेष्ठ)
4. वित्त एवं लेखाधिकारी / समस्त उप निदेशक, सूचना विभाग।

(संजय भाटिया)
सूचना निदेशक।

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग—1

लखनऊ :: दिनांक 14 फरवरी, 2007

विषय: विज्ञापन मान्यता एवं वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त में संशोधन विषयक।

महोदय,

शासनादेश सं0—2130 / उन्नीस—1—03—89 / 2001 दिनांक 18.12.03 द्वारा निर्गत विज्ञापन मान्यता एवं वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

‘ऐसे समाचार पत्र जिनका भारत सरकार के डी०ए०वी०पी० द्वारा दर निर्धारित किया गया हो, उस समयावधि के लिये सूचना विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जायेगा।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
सचिव

संख्या— 173(1) उन्नीस—1—2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2— संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक / वित्त एवं लेखाधिकारी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— विज्ञापन प्रभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—7।
- 5— गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजा राम)
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
 सूचना अनुभाग—1
 संख्या—1340 / उन्नीस—1—08—89 / 2001
 लखनऊ :: दिनांक 22 अगस्त, 2008

कार्यालय—आदेश

एतद्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पत्र संख्या—6144 / सू0एवंज0सं0वि0 (विज्ञा0)—737 / 2007, दिनांक 24 जुलाई, 2008 द्वारा शासनादेश संख्या—2130 / उन्नीस—1—2003—89 / 2001, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर—6(3) में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव पर सम्पर्क विचारोपरान्त् उक्त शासनादेश में निम्नवत् आंशिक संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

वर्तमान व्यवस्था	संशोधन
शासनादेश संख्या—2130 / उन्नीस—1—2003—89 / 2001, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 का प्रस्तर—6(3)—सा0स0पत्र 25 से0मी0 X 38 से0मी0, 5 कालम—मुद्रित आकार 6 पृष्ठ	प्रस्तर 6(3)— साप्ताहिक समाचार पत्र 700 स्टे कॉ0 से0मी0 / 3500 वर्ग से0मी0(25 से0मी0 x 38 से0मी0) 5 कालम, 4 पृष्ठ।

2— उक्त शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विजय शंकर पाण्डेय
 प्रमुख सचिव

संख्या—1340(1) / उन्नीस—1—08—89 / 2001, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
 - 2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना, उ0प्र0 शासन।
 - 3 अपर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 4 विज्ञापन प्रभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 5 वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनु0—7।
 - 6 गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
 सचिव।